राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	991 / 2019	दिनेश कुमार	1. अति. निदेशक, प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 2. अधीक्षक, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर। 3. ज्ञान प्रकाश नैना, नर्स ग्रेड–I, एस.एम. एस. चिकित्सालय, जयपुर।
2.	992 / 2019	कमलेश कुमार शर्मा	
3.	993 / 2019	सोहन लाल अग्रवाल	
4.	994 / 2019	दिनेश चन्द्र मीणा	
5.	995 / 2019	बाबू लाल शर्मा	
6.	996 / 2019	महावीर प्रसाद गोयल	
7.	997 / 2019	अलाम अली खान	
8.	998 / 2019	चन्द्रभान	
9.	999 / 2019	सुभाष चन्द्र यादव	
10.	1000 / 2019	आरती	
11.	1001 / 2019	संजय कुमार शर्मा	
12.	1002 / 2019	द्वारका प्रसाद यादव	
13.	1003 / 2019	अजय सिंह	
14.	1004 / 2019	लईक हसन	
15.	1005 / 2019	पदम चन्द जैन	
16.	1006 / 2019	दीपचन्द सैनी	
17.	1015 / 2019	धर्मवीर यादव	
18.	1017 / 2019	रामबाबू गुप्ता	
19.	1018 / 2019	हनुमान प्रसाद गर्ग	

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 991 / 2019 दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स–ग्रेड–द्वितीय के पद पर दिनांक 03.10.1986 को हुई थी। अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। संशोधित वेतनमान नियम 2008 के लागू होने के पश्चात अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर प्रदान किया गया जो दिनांक 07.01.2016 से पूर्व प्रदान किया गया था।

अपीलार्थी का वेतन लेवल–15 पर दिनांक 01.07.2017 को रूपये 74600/– में नियत किया गया । अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि नर्स ग्रेड–द्वितीय जिन्हें तृतीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.01.2016 के पश्चात दिया गया और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, उन्हें दिनांक 01.07.2017 से वेतन 75400/– रूपये लेवल–14 संशोधित वेतनमान नियम 2008 में नियत किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि समस्त व्यक्ति जिन्हें तृतीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.01.2016 के पश्चात प्राप्त हुआ है, उन्हें लेवल–14 का वेतन दिया गया और अपीलार्थी को लेवल–15 का वेतन दिया गया, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ था। इस प्रकार अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने अपने वेतन को स्टेप–अप किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि कर्मचारियों के पे स्टेअप के लिये निदेशालय चिकित्या एंव स्वास्थ्य जयपुर के पत्र दिनांक 24.11.2016 के द्वारा स्पष्ट पूर्व में ही कर दिया गया था कि अपीलार्थी और अपीलार्थी से जूनियर के द्वारा अलग अलग दिनांक से विकल्प पत्र भरा गया, जिससे वेतन विसंगति लाजमी है, कि जूनियर की ज्यादा हो सकती है। पुनरीक्षित वेतनमान 2008 संशोधित वेतन निर्धारण पश्चात् अपने से वरिष्ठ कार्मिकों से अधिक वेतन लेना शुरू किया है, एसीपी के अधीन वेतन निर्धारण पर कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक से अधिक भी हो जाता है तो उसको पे स्टेअप का लाभ देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय यूनियन आफ इंडिया बनाम के० परिशिया एस.एल.आर 1997!7! पेज न.–293 में यह सिंद्वान्त पारित किया है कि इस तरह की वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जा सकता।

4. हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2017 से वेतन 74600/– लेवल–15 दिया जाना राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम 2017 में नियत किया गया। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने पे–फिक्सेशन प्रपत्र (अनुलग्नक–1) प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी की ओर से उनसे कनिष्ठ व्यक्ति का भी वेतन संशोधन किये जाने का प्रपत्र (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति ज्ञान प्रकाश नैना का वेतन दिनांक 01.07.2017 को 75400/– लेवल–14 पर नियत

किया जाना प्रकट हुआ है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 2017 के लागू होने के पश्चात अपीलार्थी का वेतन उनसे कनिष्ठ व्यक्ति से कम नियत किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 में प्रावधान रखा गया है कि जहां वरिष्ठ व कनिष्ठ राजकीय कर्मचारी एक ही कैडर/पद पर पदस्थापित है और एक ही विभाग में कार्यरत है तो वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन कनिष्ठ के समान किये जाने के लिये स्टेप–अप किया जाए। राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने आदेश दिनांक 28.05.2021 जारी किया है, जिसमें विसंगती दूर किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है :–

> "It has been brought to the notice of the Government that pay anomaly has been arisen between senior and junior employees of the holders of some posts. A senior Government servant was appointed before the further revision of the pay scale of the post and junior Government was appointed in the further revision of pay scale of the post. In some cases further revision of pay scale was made w.e.f. 01.07.2013.
>
> The pay of junior Government servant on completion of period of probation has been made in accordance with the entry pay prescribed in the revised Schedule-V appended to the RCS(Revised pay) Rules, 2008 and pay of senior Government servant has been fixed at an equal stage in the running pay band plus revised grade pay of the post as per provisions of rule, 28 of RCS(RP) Rules, 2008. The pay of senior Governmcut servant remains lower than the entry pay allowed to the junior Government servant. This has resulted anomaly in pay from the date junior has been allowed entry pay of the post of further revised pay scale.
>
> Accordingly, the matter has been considered and the Governor is pleased to order that in the cases of direct recruitment, due to further revision of pay scale from the date subsequent to 01.01.2006, the pay of senior becomes lower than his junior, in such cases the pay of senior Government servant may be allowed to be stepped up equal to the pay of his junior from the date junior began to draw higher pay. In such cases the date of next increment of senior Government servant will be the date of next increment admissible to the junior Government servant.
>
> This order will be eftective from 01.07.2013 "

6. इसके पश्चात वित्त विभाग ने दिनांक 06.07.2021 को स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जिसमें निम्न प्रकार से स्टेप–अप की स्थिति को स्पष्ट किया गया है:–

> ''इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013–II दिनांक 28.06.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 की अनुसूची–5 में दिनांक 01.07.2013 को या उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियो को उनकी प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने पर दिनाक 01.07.2013 से देय किये गए प्रारम्भिक वेतन एवं दिनांक 01.07.2013 से पूर्व नियुक्त एवं प्रोवेश्नर ट्रेनी अवधि पूर्ण कर चुके वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में वेतन विसंगति उत्पन्न हो जाने के कारण इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा अनुसूची–5 के अनुसार देय प्रारम्भिक वेतन को दिनांक 01.07.2013 से संशोधित किया गया था।
>
> राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2013 से कतिपय पदों यथा–नर्स ग्रेड–II पब्लिक हेल्थ नर्स तथा नर्सिंग ट्यूटर की ग्रेड–पे क्रमशः रु. 3200, 3200 एवं 3600 को संशोधित कर क्रमश रु. 4200, 4200 एवं 4800 की गई है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप इन पदों के वरिष्ठ कार्मिकों एवं कनिष्ठ कार्मिकों के दिनांक 01.07.2013 को या इसके पश्चात वेतन निर्धारण होने पर वेरान विसंगति परिलक्षित हुई है। उक्त विसंगति के समाधान हेतु इस विभाग के आदेश कमांक प. 14(88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन स्टेप–अप किये जाने का प्रावधान किया गया है।
>
> अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 28.05.2021 के वेतन स्टेप–अप के प्रावधान केवल सीधी भर्ती से दिनांक 01.07.2013 से पूर्व नियुक्त उन वरिष्ठ कर्मचारियों के सबंध में प्रभावी होंगे, जिनके वेतन में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 के पश्चात भी कनिष्ठ कार्मिकों को देय प्रारम्भिक वेतन से भी कम रह गये है।''

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम लागू होने से पूर्व ही पूरी कर ली थी, परन्तु जिन

व्यक्तियों ने 27 वर्ष की सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम लागू होने से पूर्व पूरी नहीं की थी, उनका वेतन अपीलार्थी से अधिक हो गया है। इस विसंगति को दूर किया जाए और अपीलार्थी का वेतन स्टेप–अप किया जाए। संशोधित वेतनमान नियम 2017 में नियम 11.7 में स्टेप–अप का प्रावधान रखा गया है, जो निम्न प्रकार से है :–

> "Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Goverment servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st October, 2017 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as hat of the junior"

8. रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2017 एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए हम पातें है कि अपीलार्थी अपना वेतन उन कनिष्ठ व्यक्तियों के समान प्राप्त करने का अधिकारी है, जिन्हें सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार स्टेप–अप किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश तभी लागू होगा जब अपीलार्थी का वेतन शास्ति या अन्य किसी आधार पर नहीं रोका गया हो। स्टेप–अप का आदेश तीन माह में पारित करने के लिये प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश उक्त समस्त अपीलों में लागू होगा।
9. मूल आदेश अपील संख्या 991/2019 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त समस्त अपीलों में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)